उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19–सी, विधानसभा मार्ग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

रिट याचिका संख्या 37599/2015 आशीष कुमार पाण्डेय व 24 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 29 अन्य में दिनांक 16–03–2016 तथा इस आदेश के विरूद्ध योजित विशेष अपील संख्याः 338/2016, उत्तर प्रदेश राज्य व 02 अन्य बनाम आशीष कुमार पाण्डेय व 58 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29–07–2016 को पारित आदेश के अनुपालन में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर नये सिरे से चयन परिणाम घोषित किया जाना

संख्याःपीआरपीबीः अनु–6–प–1/2015 (पार्ट.फाइल) दिनांकःनवम्बर 29 ,2016

अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना), उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्याः डीजी–चार–106 (266) 2006 दिनांकित 18–05–2010 तथा पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्याः डीजी–चार–110 (327) 2009 दिनांकित 25–10–2010 के द्वारा प्राप्त अधियाचन के आधार पर बोर्ड द्वारा सूचना/विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबी–एक–1/2011 दिनांकित 19–05–2011 प्रकाशित कराते हुए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3698 एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के 312 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

2– उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती–2011 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत समूह परिसंवाद हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्राप्त कुल अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर आरक्षण के सुसंगत प्राविधानों के अधीन बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना/विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबीः अनु–6–प–1/2015 दिनांकित 16 मार्च, 2015 के द्वारा चयन परिणाम घोषित किया गया था।

3– रिट याचिका संख्याः 67782/2014 साकेत कुमार व 03 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29–05–2015 के अनुपालन में मुख्य लिखित परीक्षा में अपने ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में ह्वाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को हटाते हुए नये सिरे से चयन परिणाम बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्याःपीआरपीबीःअनु–6–प–1/2015 दिनांकः 25 जून, 2015 के द्वारा घोषित किया गया।

4– रिट याचिका संख्या 37599/2015 आशीष कुमार पाण्डेय व 24 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 29 अन्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16–03–2016 को पारित आदेश में रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया था तथा इस आदेश के विरूद्ध योजित विशेष अपील संख्याः 338/2016, उत्तर प्रदेश राज्य व 02 अन्य बनाम आशीष कुमार पाण्डेय व 58 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29–07–2016 को पारित आदेश में विशेष अपील को अंशतः स्वीकार किया गया और क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में एकल पीठ के आदेश के अनुपालन के निर्देश दिये गये।

5– अतएव मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश दिनाकित 16–03–2016 तथा इस आदेश के विरूद्ध योजित विशेष अपील संख्याः 338/2016, उत्तर प्रदेश राज्य व 02 अन्य

बनाम आशीष कुमार पाण्डेय व 58 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29–07–2016 को पारित आदेश के अनुपालन में बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबीः अनु–6–प–1/2015 दिनांकः 25 जून, 2015 के द्वारा खुली प्रतियोगिता श्रेणी में विशेष श्रेणी जैसे महिला, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित सभी समायोजित अभ्यर्थियों को उनकी सम्बन्धित सामाजिक श्रेणियों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जिससे वे सम्बन्धित है, में स्थानान्तरित और समायोजित करते हुए मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्राप्त कुल अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा नये सिरे से चयन किये गये है।

6.1— उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3698 पदों के सापेक्ष अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 1744, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 957, अनुसूचित जाति श्रेणी में 723 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 22 और अनुसूचित जनजाति की रिक्ति में अनुसूचित जाति के 47 कुल–3493 अभ्यर्थी चयनित हुए है। इनमें 259 महिलायें, 37 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं 17 भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं।

6.2— प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के 312 पदों के सापेक्ष अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 145, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 78, अनुसूचित जाति श्रेणी में 62 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शून्य और अनुसूचित जनजाति की रिक्ति में अनुसूचित जाति के 06 कुल–291 अभ्यर्थी चयनित हुए है। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक के कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए।

6.3— इस चयन में सम्मिलित नये अभ्यर्थियों का चयन उनके चिकित्सीय परीक्षण और कागजातों/चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन है।

7.1— उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के भूतपूर्व सैनिक के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 84, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 41, अनुसूचित जाति श्रेणी में 39 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 04 कुल–168 तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 21, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शून्य, अनुसूचित जाति श्रेणी में 15 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 01 कुल–37 पद अग्रेनीत किये गये है।

7.2— इसी प्रकार उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के भूतपूर्व सैनिक के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 08, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 04, अनुसूचित जाति श्रेणी में 03 कुल–15 तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 03, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 02, अनुसूचित जाति श्रेणी में 01 कुल–06 पद अग्रेनीत किये गये है।

8.1— उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3698 पदों के सापेक्ष लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण की भरी गयी रिक्तियों के अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कटआफ मार्क्स इस प्रकार हैः–

लम्बवत श्रेणी	पुरूष	भूतपूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	महिला
अनारक्षित (सामान्य)	327.0000	271.5000	261.1667	239.2500
अन्य पिछड़ा वर्ग	316.8333	263.2500	240.0833	238.0833
अनुसूचित जाति	272.0833	—	250.2500	240.1667
अनुसूचित जनजाति	235.4167	—	—	—

8.2— प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के 312 पदों के सापेक्ष लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण की भरी गयी रिक्तियों के अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कटआफ मार्क्स इस प्रकार है:—

लम्बवत श्रेणी	पुरूष	भूतपूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित
अनारक्षित (सामान्य)	325.0000	-	-
अन्य पिछड़ा वर्ग	316.0833	-	-
अनुसूचित जाति	266.0000	-	-
अनुसूचित जनजाति	—	—	—

*कटआफ मार्क्स पर एक से अधिक अभ्यर्थी होने की दशा में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक (Tie-Break) के आधार पर चयन किया गया है।

9— संगत सेवा नियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दो या अधिक अभ्यर्थी द्वारा बराबर—बराबर अंक प्राप्त करने की स्थिति में उनकी श्रेष्ठता का विनिश्चय मुख्य लिखित परीक्षा के उच्चतर अंक, अधिमानी अर्हता, अधिक आयु व प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर के क्रम में किया गया है। अतः अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ पर समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयनित होना आवश्यक नहीं है।

10— विशेष अपील संख्या: 338/2016, उत्तर प्रदेश राज्य व 02 अन्य बनाम आशीष कुमार पाण्डेय व 58 अन्य में दिनांक 29—07—2016 एवं रिट याचिका संख्या 37599/2015 आशीष कुमार पाण्डेय व 24 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 29 अन्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16—03—2016 को पारित आदेश के अनुपालन में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3698 एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के 312 पदों के सापेक्ष चयनित कुल 3784 अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची जिसमें विशेष श्रेणी के समायोजित किये गये अभ्यर्थी भी सम्मिलित है—**परिशिष्ट—क,** उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पद पर चयनित नये 64 अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची—**परिशिष्ट—ख,** उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पद से विस्थापित/अचयनित 64 अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची— **परिशिष्ट—ग,** प्लाटून कमाण्डर, पीएसी से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस से प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पद पर चयनित कुल 131 अभ्यर्थियों की सूची—**परिशिष्ट—घ** तथा भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए आरक्षित कुल 226 अनभरी रिक्तियां आगामी दो चयन वर्षो के लिए अग्रेनीत किये जाने सम्बन्धी बोर्ड के आदेश की प्रति—**परिशिष्ट—च** बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर प्रदर्शित है।

10.1— उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पद से विस्थापित/अचयनित अभ्यर्थियों के चयन स्वतः निरस्त/समाप्त माने जायेंगे।

10.2— पूर्व चयन सूची के चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त अथवा कागजातों/चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य के आधार पर नियुक्त प्राधिकारी द्वारा घोषित अनुपयुक्त अभ्यर्थी यदि पुनरीक्षित सूची में सम्मिलित है तो भी उन्हें अनुपयुक्त माना जायेगा।

11— यद्यपि इस चयन परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न

ही त्रुटि पाये जाने पर इस त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा।

12— यह चयन परिणाम सर्वसाधारण के लिए सूचित किया जा रहा है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

13— मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा नये सिरे से किये गये इस चयन के आधार पर चयन सूची जारी किये जाने के फलस्वरूप बोर्ड की पूर्व में प्रकाशित सूचना/विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबीःअनु—6—प—1/2015 दिनांकः 25 जून, 2015 के द्वारा घोषित चयन परिणाम एवं उसके आधार पर जारी चयन सूची उपरोक्तानुसार संशोधित मानी जायेगी।

14— यह चयन रिट याचिका संख्या 5158/2015 अभिषेक कुमार सिंह व 03 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ के निर्णय दिनांक 24—08—2016 के विरूद्ध योजित विशेष अपील संख्याः 444/2016 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम अभिषेक कुमार सिंह व 16 अन्य के निर्णय के अधीन है।

29/11/16

अपर सचिव, भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।